Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8675/2012/बूंदी सरकार बनाम गजानन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री धूकलराम कसवाँ, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

निर्णय

यह रेफरेन्स जिला कलेक्टर, बूंदी के द्वारा अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 30–08–2012 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बूंदी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्रम बडून्दा जमाबंदी संवत 2001–05 के अनुसार आराजी खसरा नं0 7 रकबा 5 बीघा भूमि गैर मुमकीन तलाई के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। दौराने सेटलमेंट संवत 2028–47 में उक्त खसरा नंबर के नवीन खसरा नंबर 7 रकबा 5 बीघा हुये, जिसे अप्रार्थी को आवंटित कर दी गयी, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में होने के कारण किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2–8–2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई तो उक्त किस्म की भूमि को वापस राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अतः विवादग्रस्त भूमि को पुनः गैर मुमकिन तलाई दर्ज कर अप्रार्थी का नाम कलमजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर राजस्व अभिलेख से विपक्षी का नाम हटाया जाकर बिला नाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8675/2012/बूंदी सरकार बनाम गजानन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकार गैर मुमकिन तलाई राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी कृषि अयोग्य गैर मुमकिन तलाई के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिस पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02–8–04 की पालना में इस प्रकार दर्ज की गई खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बडून्दा जमाबंदी संवत 2001–05 के अनुसार आराजी खसरा नं0 7 रकबा 5 बीघा भूमि गैर मुमकीन तलाई के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। दौराने सेटलमेंट संवत 2028–47 में उक्त खसरा नंबर के नवीन खसरा नंबर 7 रकबा 5 बीघा हुये, जिसे अप्रार्थी को आवंटित कर दी गयी, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन तलाई दर्ज होने से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/8675/2012/बूंदी सरकार बनाम गजानन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सार्वजनिक हित की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-8-04 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज की गई खातेदारी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पर अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की जाती है तथा अप्रार्थी के खाते में अंकित विवादग्रस्त आराजी को बिला नाम सरकार गैर मुमकीन तलाई दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य